# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील संख्या 96/10 ( 2010/00008)/नागौर**

1. गंगा सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत
2. रेवत सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत
3. हनुमान पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत
4. शेर सिंह पुत्र कल्याण सिह जाति राजपूत
5. रसाल सिह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत
6. लक्ष्मण सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत
   समस्त निवासी ग्राम खेरवाड़ तहसील जायल जिला नागौर।

———अपीलार्थीगण

## बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जायल जिला नागौर।
2. उगम सिंह पुत्र कल्याण सिंह मृतक जरिये वारिसानः—
   2/1 अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 श्री उगम सिंह जाति राजपूत
   2/2 जब्बर सिंह पुत्र स्व0 श्री उगम सिंह जाति राजपूत
   2/3 समुन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री उगम सिंह जाति राजपूत
   2/4 राजू सिंह पुत्र स्व0 श्री उगम सिंह जाति राजपूत
   2/5 मुन्नी कंवर पुत्री स्व0 श्री उगम सिंह जाति राजपूत
   2/6 प्रेम कंवर पुत्री स्व0 श्री उगम सिंह जाति राजपूत
3. गुमान कंवर पत्नी स्व0 श्री कल्याण सिंह (फौत)
4. लाड कंवर पुत्री कल्याण सिंह जाति राजपूत
5. हवा कंवर पत्नी केसर सिंह जाति राजपूत
6. सवाई सिंह पुत्र नैन सिंह मृतक जरिये वारिसानः—
   6/1 परबत सिंह पुत्र स्व0 श्री सवाई सिंह जाति राजपूत
   6/2 अखे सिंह पुत्र स्व0 श्री सवाई सिंह जाति राजपूत
   6/3 गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री सवाई सिंह जाति राजपूत
   6/4 मंगेज कंवर पत्नी स्व0 श्री सवाई सिंह जाति राजपूत
   समस्त निवासी ग्राम खेरवाड़ तहसील जायल जिला नागौर।
   6/5 रतन कंवर पुत्री स्व0 श्री सवाई सिंह पत्नी श्री भागीरथ सिंह
   6/6 धापू कंवर पुत्री स्व0 श्री सवाई सिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत
   निवासी लूणसरा, तहसील मूण्डवा जिला नागौर।
7. गुमान सिंह पुत्र चन्द्र सिंह जाति राजपूत
8. बजरंग सिंह पुत्र धोकल सिंह जाति राजपूत
   समस्त निवासी ग्राम खेरवाड़ तहसील जायल जिला नागौर।
9. कानाराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी इंनाणा (फौत)
10. सुखराम पुत्र जानाराम जाति जाट निवासी खेरवाड़

11. सुखराम पुत्र बुद्धाराम जाति जाट निवासी खेरवाड़
12. किशोरराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी खेरवाड़
13. किशोरराम पुत्र भाउराम जाति जाट निवासी खेरवाड़
    समस्त तहसील जाति जिला नागौर।

———— प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अपर जिला कलक्टर, नागौर दिनांक 29–05–2009
अन्तर्गत अपील संख्या 32/2008
बउनवान कल्याण सिंह व अन्य बनाम सरकार

————

उपस्थित–
1. श्री भींयाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री घनश्याम सिंह लखावत, प्रत्यर्थी संख्या 10 से 13

## निर्णय

दिनांकः–06–02–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 30–5–1992 के द्वारा तहसीलदार जायल ने राज्य सरकार प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत करने के आदेश प्रदान कर दिये। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपील अपर कलक्टर, नागौर के न्यायालय में पेश की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–5–2009 द्वारा अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी। अपर जिला कलक्र, नागौर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थीगण की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अपर जिला कलक्टर, नागौर के निर्णय दिनांक 29–5–2009 की सूचना प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को नही दी उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी गांव में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29–6–2010 को बताने पर हुई जिस पर प्रार्थी दिनांक 30–6–2010 को नागौर गया एवं जानकारी करने पर निर्णय कर पुष्टि हुई तदोपरान्त निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 30–6–2010 को प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 1–7–2010 को नकल प्राप्त कर अपनेगांव गया एवं फिस आदि की

व्यवस्था कर अजमेर आकर वकील नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर बिना विलम्ब के अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम धारा–5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थीगण अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर भी उभय पक्षों को सुना गया। अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील डिक्री संख्या 3/1978 जिला नागौर बउनवानी ग्राम पंचायत डिडियांकला बनाम कल्याण सिंह वगैरह में निर्णय दिनांक 3–4–1984 डीबी माननीय सदस्य श्री एस.सी पांडे एवं श्री नवीन चन्द शर्मा द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति। राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर का निर्णय व डिक्री अपील संख्या 38/1974 ग्राम पंचायत डिडियांकला बनाम कल्याण सिंह वगैरह में निर्णय व डिक्री दिनांक 26–11–1977 की प्रमाणित प्रति। सहायक जिलाधीश नागौर का राजस्व वाद संख्या 196/1968 बउनवान कल्याण सिंह बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय व डिक्री दिनांक 8–2–1974 के निर्णय की प्रमाणित प्रतियां। सहायक कलक्टर जायल के आदेश क्रमांक 124 दिनांक 29–5–1992 के लिए किये गये आवेदन दिनांक 16–4–2021 जो कि रिपोर्ट क्रमांक 344 दिनांक 16–4–2021 की प्रमाणित प्रतियां। नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 14–6–1975 जो कि सहायक कलक्टर नागौर के मुकदमा नम्बर 196/1968 निर्णय दिनांक 8–2–1974 की अनुपालना में भरा गया उसकी प्रमाणित प्रतियां। जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम खेरवाड तहसील जायल जिला नागौर की सम्वत 2011 से 2014 के कॉलम नम्बर 3 व 4 में माफीदार (भोम) पृथ्वीसिंह ने गायड सिंह ने हमीर सिंह ने, जयसिंह ने बेटा रणजीत सिंह रा

बहिस्सा बराबर, ज्वर सिंह बेटा शिवसिंह 1 राजपूत गौड साकिन देह के नाम दर्ज है जिसकी राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम खेरवाड तहसील जायल जिला नागौर सम्वत 2015 से 2018 के कॉलम नम्बर 4 में पृथ्वी सिंह, गायड सिंह, हमीर सिंह, जससिंह बेटा रणजीत सिंह रा बहिस्सा बराबर जवार सिंह बेटा शिवसिंह 1 राजपूत गौड साकिन देह भोमिया के नाम दर्ज है जिसकी राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियो के साथ–साथ अन्य जमाबंदियों आदि की प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर बतौर साक्ष्य लिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। दोनों पक्षकारों के राजीनामें के आधार पर सहायक कलक्टर नागौर ने डिक्री जारी की है तथा तीनों गांवो के पशु पानी पीते है एवं चरते है। तहसीलदार जायल द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 30–5–1992 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

विवादित आराजियात तीन गांव खेरवाड, डीडवा, ईडाणा के गांवों के पशु मेडिया नाड़ी में पानी पीते है। अपीलार्थीगण के पूर्वजों ने दावा पेश किया था दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 275 रकबा 20.09 बीघा मेडिया तालाब आंगोर सार्वजनिक भूमि है। दावा डिक्री निरस्ती हेतु अपीलार्थीगण ने पहले सहमति दी थी। अपीलार्थीगण द्वारा आदेश 41 नियम 27 के साथ संलग्न दस्तावेज सहायक कलक्टर जायल द्वारा केम्प में पारित डिक्री सहमति से अवैधानिक हो गये है। अपीलार्थीगण द्वारा अपर कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 29–5–2009 को चुनौती दी है। अपर कलक्टर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अपीलार्थीगण ने पूर्व में दोनों पक्षों में राजीनामा होने के बावजूद भी अपील पेश की है अर्थात अपीलार्थीगण हर स्तर स्थान व न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति परिवर्तन कर न्यायालयों का अमूल्य समय नष्ट कर अनावश्यक व आधारहीन मुकदमेबाजी में बढोतरी कर रहा है जो विधिक दृष्टि से क्षमा योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 को मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीगण मौजा खेरवाड तहसील जायल स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 20.09 बीघा व खसरा नम्बर 276 रकबा 29.06 बीघा व खसरा नम्बर 344/275 रकबा 01.00 बीघा कुल 50.15 बीघा पर उनके बाप दादाओं के समय से वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अपीलार्थीगण के पूर्वज आराजी के जागीदार है। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने पर वो विवादित आराजियात के खातेदार हो गये एवं विवादित आराजी में एक नाड़ी अपीलार्थीगण के पूर्वजों ने खुदवाई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज कर विवादित आराजियात का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम तस्दीक करने का आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजियात अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजी रही है किन्तु बन्दोबस्त विभाग ने इसे नाडी एवं अगोर दर्ज कर दी जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण के पिता ने एक वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया जो सहायक कलक्टर नागौर ने वाद संख्या 196/68 निर्णय दिनांक 8–2–1974 के द्वारा अपीलार्थीगण के हक में डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के यहां प्रस्तुत की जो उनके निर्णय दिनांक 2–11–1977 से निरस्त कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 ने राजस्व मण्डल में एक अपील प्रस्तुत की जो उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 3–3–84 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इस प्रकार राजस्व मण्डल से विवादित आराजी का अंतिम निर्णय हो जाने के बाद भी तहसीलदार जायल ने क्षैत्राधिकार से परे जाकर राज्य सरकार के हक में नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 30–5–1992 तस्दीक कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलार्थीगण की अपील निरस्त करने में भारी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी का अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार होकर आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु अपीलार्थीगण को बिना नोटिस दिये एवं बिना मौके की जांच किये सरसरी तौर पर एकतरफा आदेश पारित कर विवादित आराजियात को राज्य सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर का निर्णय दिनांक 29–5–2009 एवं तहसीलदार जायल द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 30–5–1992 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम खेरवाड के विवादित आराजी खसरा नम्बर 275, 276, 344/275 कुल रकबा 50.15 बीघा

तहसीलदार, जायल ने उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जायल केम्प डीडियाकला के आदेश क्रमांक 124 दिनांक 29–5–1992 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 30–5–1992 में उक्त खसरा नम्बरान को गै.मु. अंगोर व नाडी भरकर स्वीकृत किया गया है जो सही है। तहसीलदार, जायल द्वारा सहायक कलक्टर न्यायालय जायल के आदेशों की पालना की गई है। तहसीलदार, ने सहायक कलक्टर जायल के निर्णय की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 10 से 13 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजियात तीन गांव खेरवाड, डीडवा, ईडाणा के गांवों के पशु मेडिया नाड़ी में पानी पीते है। अपीलार्थीगण के पूर्वजों ने दावा पेश किया था दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 275 रकबा 20.09 बीघा मेडिया तालाब आंगोर सार्वजनिक भूमि है। दावा डिक्री निरस्ती हेतु अपीलार्थीगण ने पहले सहमति दी थी। अपीलार्थीगण द्वारा आदेश 41 नियम 27 के साथ संलग्न दस्तावेज सहायक कलक्टर जायल द्वारा केम्प में पारित डिक्री सहमति से अवैधानिक हो गये है। अपीलार्थीगण द्वारा अपर कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 29–5–2009 को चुनौती दी है। अपर कलक्टर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अपीलार्थीगण ने पूर्व में दोनों पक्षों में राजीनामा होने के बावजूद भी अपील पेश की है। अपीलार्थीगण ने एक दावा घोषणा का और पेश कर रखा है। विवादित आराजियात सार्वजनिक हित की भूमि है जिसमें तीनों गावों के पशु पानी पीते है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण मौजा खेरवाड तहसील जायल स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 20.09 बीघा व खसरा नम्बर 276 रकबा 29.06 बीघा व खसरा नम्बर 344/275 रकबा 01.00 बीघा कुल 50.15 बीघा पर उनके बाप दादाओं के समय से वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अपीलार्थीगण एवं तरतीबी प्रत्यर्थीगण के पूर्वज आराजी के जागीदार है। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने पर वो विवादित आराजियात के खातेदार हो गये एवं विवादित आराजी में एक नाड़ी अपीलार्थीगण के पूर्वजों ने खुदवाई थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण ने सहायक कलक्टर, नागौर के न्यायालय में एक दावा 88, 89 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत किया जिसका नम्बर 196/68 था जिसका निर्णय दिनांक 8–12–1974 को अपलार्थीगण व उनके पूर्वजों के पक्ष में डिक्री किया जाकर विवादित आराजियात उनकी खातेदारी में घोषित कर दी गई थी। उक्त दावा डिक्री आदिनांक तक प्रभावी है जिसको किसी

भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण आदिनांक तक भी विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार है। सहायक कलक्टर नागौर के उक्त निर्णय दिनांक 8–12–1974 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी, जौधपुर में ग्राम पंचायत डीडियाकंला तहसील जायल द्वारा अपील प्रस्तुत की जिसे प्रकरण संख्या 388/174 दर्ज कर उनके निर्णय दिनांक 20–11–1977 से अपील अस्वीकार कर दी। इसी निर्णय के विरूद्ध ग्राम पंचायत डीडियाकला द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई जो 3178/78 नम्बर से दर्ज की गई जिसे दिनांक 3–4–1984 को खारिज कर दी गई। विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वजों के नाम होने के बावूद भी विवादित आराजियात का नामान्तररकरण संख्या 134 दिनांक 30–5–1992 को तहसीलदार, जायल द्वारा पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण संख्या 134 दिनांक 30–5–1992 में सहायक कलक्टर, जायल के आदेश क्रमांक 124 दिनांक 29–5–1992 के जिस आदेश से भूमि सिवायचक की गई है, का उल्लेख किया गया है वह आदेश पत्रावली में कहीं मौजूद नहीं है। अपर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–5–2009 में उल्लेखित किया है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थीगण व उनके पिता के नाम से दर्ज हो जाने का कथन किया है। उक्त अपीले न्यायालय के निर्णय/आदेश से किस संबंध में जारी हुआ है का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रतियां अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। केवल नामान्तरकरण संख्या 134 की प्रमाणित प्रति पेश की है। इसलिए मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह दलील स्वीकार योग्य नहीं है। अपर जिला कलक्टर नागौर द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं करने को आधार मानकर अपील को खारिज किया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 के साथ विवादित आराजियात से संबंधित समस्त दस्तावेजात दावा व अन्य न्यायालयों के निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम खेरवाड़ स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 275 रकबा 20.09 बीघा व खसरा नम्बर 276 रकबा 29.06 बीघा व खसरा नम्बर 344/275 रकबा 01.00 बीघा कुल 50.15 बीघा पर अपीलार्थीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है तथा विवादित आराजियात के जागीदार रहे है। सहायक कलक्टर, नागौर द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनांक 8–2–1974 आज भी प्रभाव में है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण व उनके पूर्वजों को खातेदार घोषित किया जाकर डिक्री जारी की गई थी उक्त आदेश/डिक्री को आज दिनांक तक निरस्त नहीं करवाया गया है। ग्राम पंचायत डिडियाकंला द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में अपील की थी जो उनके द्वारा निरस्त की जा चुकी है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर अपीलार्थीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त है। जो कि अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से भलीभांति

सिद्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–5–2009 दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपील को खारिज किया है जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–5–2009 अपील संख्या 32/2008 उनवान कल्याण सिंह बनाम सरकार विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर भूमि पर कब्जे की जांच रिपोर्ट तहसीलदार, जायल से प्राप्त कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 06–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर